

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 213430

पटना, दिनांक:- 22/12/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(प्र0प्रे0)-102-25/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
बक्सर, लखीसराय, नालन्दा, नवादा, कैमूर, शेखपुरा, गया एवं पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत केन्द्रांश द्वितीय किशत की निधि विमुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत केन्द्रांश द्वितीय किशत की निधि विमुक्ति संबंधी आपसे प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को विभागीय पत्र संख्या-213081 दिनांक-18.12.14 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर प्रस्ताव के समीक्षा के क्रम में कतिपय त्रुटियाँ पायी जाती है, जिसका तत्परतापूर्वक एवं द्रुत गति से समाधान होने से निधि की विमुक्ति सुनिश्चित कराने में सुविधा होती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिला अंतर्गत इंदिरा आवास योजना की केन्द्रांश की निधि की विमुक्ति कराने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने से जुड़े जानकार पदाधिकारी/कर्मचारी को नई दिल्ली भेजी जाय ताकि प्रस्ताव के त्रुटियों का समाधान कराकर केन्द्रांश द्वितीय किशत की निधि की विमुक्ति सुनिश्चित हो सके ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव

19/12/14